न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 198/2016

1 देशराज पुत्र सिन्धा।
2 सुन्दर पुत्र सिन्ध।
3 महावीर पुत्र मेहरचन्द।
4 मृतक लालाराम पुत्र मेहरचन्द।
4/1 सरती देवी पत्नी लालाराम।
4/2 जितेन्द्र कुमार पुत्र लालाराम।
4/3 शेरसिंह पुत्र लालाराम।
4/4 उषा पुत्री लालाराम।
4/5 सरोज पुत्री लालाराम।
4/6 पिंकी पुत्री लालाराम समस्त जाति अहीर निवासीगण जयसिंहपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 प्रताप सिंह पुत्र सरदार सिंह जाति अहीर निवासी जयसिंहपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
2 लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
3 झुंझुनू सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड शाखा खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री उपखण्ड अधिकारी बुहाना दिनांक 24.06.2016 बमुकदमा दावा नम्बर 246/2015 उनवानी प्रतापसिंह बनाम देशराज

उपस्थिति :

1. श्री दीपक चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रणजीत सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
3. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः—26-7-21

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 246/2015 में पारित निर्णय दिनांक 24.06.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट ने ग्राम जयसिंहपुरा की भूमि खसरा नम्बर 75, 146, 171, 185, 186 के संदर्भ में विभाजन का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण ने जवाब दावा प्रस्तुत कर ग्राम बरबड़ की भूमि खसरा नम्बर 1115, 1160, 1161 का भी विभाजन का कथन किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से ग्राम जयसिंहपुरा व ग्राम बरबड़ की भूमि के विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है। इससे व्यथित होकर प्रतिवादीगण की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में पत्रावली वास्ते जवाब प्रतिदावा नियत चल रही थी। विचारण न्यायालय ने बिना विधिक प्रकिया अपनाये विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय में कैम्प में अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित नहीं थे। विचारण न्यायालय ने बिना सुनवाई विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय में प्रतिदावा का जवाब आने पर तनकी कायम कर साक्ष्य लेकर बाद सुनवाई निर्णय किया जाना चाहिए था। ऐसा नही कर नियत तिथि से पूर्व विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमांड किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2023 (1) पेज 375 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने नियत तिथि पर उभयपक्ष की उपस्थिति में बहस सुनकर निर्णय पारित किया है। अपीलांट ने उनकी उपस्थिति गलत अंकित करने का बिन्दु आक्षेपित नहीं किया है। विचारण न्यायालय ने वादी का वाद डिक्री कर प्रतिदावा खारिज किया है। अपीलांट द्वारा दावे व प्रतिदावे की अलग–अलग अपील प्रस्तुत नहीं की है। ऐसी स्थिति में विधि अनुसार अपील पोषणीय नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 2020 पेज 312, आरआरटी 2021 (1) पेज 628 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने नियत तिथि पर उभयपक्ष की उपस्थिति में बहस सुनकर निर्णय पारित किया है। अपीलांट ने उनकी उपस्थिति गलत अंकित करने का बिन्दु अपील में आक्षेपित नहीं किया है। विचारण न्यायालय ने वादी का वाद डिक्री कर प्रतिदावा खारिज किया है। अपीलांट द्वारा दावे व प्रतिदावे की अलग–अलग अपील प्रस्तुत नहीं की है। ऐसी स्थिति में विधि अनुसार अपील

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

पोषणीय नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 26-7-23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर